# न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
# पीठासीन अधिकारी श्री अनिल गुप्ता,आई.ए.एस.

**अपील संख्या 26/2011 एल.आर. एक्ट**

मेघसिंह पुत्र रामलाल जाति अहीर (यादव) निवासी उदयरामसर, तहसील व जिला बीकानेर ।

**अपीलान्ट्**

**बनाम**

1. राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार (राजस्व) बीकानेर ।
2. रामचन्द्र सिंह पुत्र हनुमानसिंह जाति अहीर (यादव) निवासी उदयरामसर तहसील व जिला बीकानेर ।

**रेस्पोन्डेंट्**

**उपस्थितः** 1– श्री आर.के.दास गुप्ता, अभिभाषक अपीलान्ट ।
2– श्री राणुसिंह नायब तहसीलदार (राजस्व)बीकानेर राज्य पक्ष की ओर से ।

## निर्णय

**दिनांक 20.2.2018**

1. यह द्वितीय अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम् 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर के निर्णय दिनांक 8.3.2011 जिसके द्वारा प्रथम अपील अपीलान्ट मियाद बिन्दु पर खारिज कर नामान्तरकरण सं0 334 ग्राम उदयरामसर यथावत रखा गया, के विरुध्द प्रस्तुत हुई है ।
2. अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी के पिता रामलाल व लक्ष्मीनारायण सिंह पि0 खेतसिंह कौम अहीर के नाम ग्राम उदयरामसर तहसील, बीकानेर की रोही में वर्ष 1968 में खुद काबिज भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी । खुद काबिज रकबे को राज्य सरकार के आदेश संख्या एफ3/78/रेवेन्यु/ई/70 दिनांक 21.4.60 की पालना में राजकीय भूमि होना माना जाकर पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरकरण सं0 334 भरा जाकर खुद काबिज का खाता आराजी राज दर्ज करने एवम् निरीक्षक हल्का द्वारा जांच के पश्चात तहसीलदार, बीकानेर द्वारा खसरा नं. 547 में 52.15बीघा व 548 में 19.02बीघा, 557 में 29.05बीघा, 543 में 55.03बीघा, 545 में 128.15बीघा, 546 में 576.15बीघा कुल 861.15 बीघा भूमि को नामान्तरकरण सं0 334 की पुश्त पर आदेश दिनांक 25.9.70 पारित कर राजकीय भूमि घोषित कर दी गयी । प्रकरण में पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरकरण सं0 334 दिनांक 18.3.68 भरा जाकर खुद काबिज का खाता आराजी राज दर्ज किया गया, जिस पर निरीक्षक हल्का द्वारा दिनांक 20.3.68 को जांच की रिपोर्ट की गयी है, जिसके विरुध्द अपीलार्थी मेघसिंह पुत्र रामलाल द्वारा 40 वर्ष पश्चात् न्यायालय उपखण्ड

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अधिकारी, बीकानेर के समक्ष खसरा नं0 545 की तादादी 128.15बीघा भूमि के बाबत प्रथम अपील सं0 46/2008 अनवान मेघसिंह बनाम स्टेट, रामचन्द्रसिंह प्रस्तुत की गयी, जिसे निर्णय दिनांक 8.3.2011 द्वारा मियाद बिन्दु पर निरस्त कर दिया गया । उपखण्ड न्यायालय, बीकानेर के उक्त निर्णय दिनांक 8.3.11 के विरुध्द अपीलान्ट द्वारा द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है ।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेंट के निमित सम्मन जारी करते हुए अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब कर प्राप्त किया गया । रेस्पोन्डेंट सं02 के उपस्थित नहीं आने पर उनके विरुध्द इकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये हुए हैं। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एवं राज्य पक्ष की ओर से उपस्थित नायब तहसीलदार, बीकानेर की बहस सुनी गयी ।

4. अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में बताया कि तहसील, बीकानेर के ग्राम उदयरामसर की रोही में अन्य खसरों के साथ अपीलार्थी के पिता की खातेदारी खुद काबिज की भूमि खसरा नं0 545 रकबा 128बीघा 15 बिस्वा चली आ रही थी, जिसे बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के तहसीलदार, बीकानेर द्वारा नामान्तरकरण सं0 334 द्वारा उक्त भूमि को रकबा राज दर्ज कर दिया । उक्त अपीलाधीन इन्तकाल दर्ज करने से पूर्व तहसीलदार बीकानेर द्वारा अपीलार्थी के पिता या अपीलार्थी को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया । राज्य सरकार द्वारा खुद काबिज भूमि को रकबा राज दर्ज करने के आदेश प्रदान किये थे, परन्तु नामान्तरकरण सं0 334 में खसरा नं0 545 की 128.15 बीघा भूमि अपीलान्ट के पिता के नाम खातेदारी खुद काबिज भूमि बताई गयी है, जबकि खातेदार एवं खुद काबिज शब्द एक साथ नहीं आ सकते हैं । इस प्रकार तहसीलदार बीकानेर द्वारा नामान्तरकरण सं0 334 स्वीकृत कर खसरा नं0 545 की 128.15 बीघा भूमि अपीलान्ट के पिता की खातेदारी भूमि भूल से खुद काबिज भूमि मानकर रकबा राज दर्ज कर दिया, जो निरस्त योग्य है । यह कि तहसीलदार बीकानेर द्वारा स्वीकृत किये गये उक्त नामान्तरकरण सं0 334 के विरुध्द अपीलान्ट द्वारा उपखण्ड न्यायालय, बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत की गयी प्रथम अपील सं0 46/08 के साथ धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह निवेदन किया गया था कि अपीलान्ट्स को अपीलाधीन इन्तकाल की जानकारी दिनांक 7–5–2008 को उस समय हुई, जब अपीलान्ट्स ने बैंक से कृषि ऋण लेने के लिए पटवारी हल्का से खाते की नकल हेतु कहा । अपीलान्ट्स को पटवारी हल्का से जानकारी होते ही दिनांक 7–5–08 को ही नकल दरख्वास्त प्रस्तुत करने पर दिनांक 26–5–08 को नकल मिलने के पश्चात दिनांक 27.6.2008 को जानकारी से अन्दर मियाद अपील प्रस्तुत कर दी गयी थी । परन्तु उपखण्ड न्यायालय, बीकानेर द्वारा मैरिट पर सुनवाई किये बिना मियाद बिन्दु पर ही प्रथम अपील खारिज कर दी गयी है । अभिभाषक अपीलान्ट ने आगे अपनी बहस में बताया कि अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रथम अपील में विलम्ब को कन्डोन करने के

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

लिए धारा–5 मियाद अधिनियिम का प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया था, रेस्पोन्डेंट सं01 राज्य पक्ष द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कोई काउन्टर शपथ पत्र नहीं दिया गया है । अतः शपथ पत्र को नहीं मानने का कोई कारण नहीं है । इस सम्बन्ध में आरआरडी 1990 पेज 479 अवलोकनीय बताया । तहसीलदार बीकानेर द्वारा अपीलान्ट को बिना सुने इकतरफा तौर पर आदेश पारित कर अपीलान्ट के पिता की खसरा नं0 545 में दर्ज 128 बीघा 15 बिस्वा भूमि को आराजी राज घोषित किया गया है । प्राकृतिक न्याय सिध्दान्त के अनुसार दूसरे पक्ष को सुनना आवश्यक है । विलम्ब के सम्बन्ध में न्यायालय को नर्म रुख अपनाया जाना चाहिये । इस सम्बन्ध में ए.आई.आर 1978 पेज 597 एवम् 2012 (7)एसआरजे पेज 400 अवलोकनीय बताते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार कर मैरिट पर निर्णय करने हेतु उपखण्ड न्यायालय बीकानेर को रिमाण्ड करने हेतु निवेदन किया ।

5. रेस्पोन्डेंट सं01 राज्य पक्ष की ओर से नायब तहसीलदार, बीकानेर ने अपनी बहस में बताया कि अपीलान्ट के पिता रामलाल व लक्ष्मीनारायणसिंह के नाम संयुक्त रुप से दर्ज अन्य खसरा नं0 के साथ खसरा नं0 545 की 128.15 बीघा खुद काबिज रकबे को राज्य सरकार के आदेश सं. एफ–3/78/रेवेन्यू/ई/70 दिनांक 21.4.60 की पालना में तहसीलदार, बीकानेर द्वारा नामान्तरकरण सं0 334 दिनांक 25.9.70 द्वारा आराजी राज किया गया है । अपीलान्ट द्वारा इन्तकाल सं0 334 में अंकित निरीक्षक हल्का रिपोर्ट दिनांक 20.3.68 के विरुध्द 40 वर्ष पश्चात उपखण्ड न्यायालय, बीकानेर में प्रथम अपील सं0 46/08 प्रस्तुत की गयी है । नामान्तरकरण सं0 334 में 20–3–68 का कोई आदेश नहीं है, अतः दिनांक 20.3.68 के विरुध्द प्रस्तुत की गयी प्रथम अपील दोषपूर्ण है । प्रथम अपील को उपखण्ड न्यायालय द्वारा उभय पक्ष की सुनवाई के पश्चात ही मियाद बिन्दु पर निरस्त की गयी है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे ।

6. हमने उभय पक्ष की बहस को मध्यनजर रखते हुए उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रकरण अनुसार राज्य सरकार के आदेश संख्या एफ3/78/रेवेन्यु/ई/70 दिनांक 21.4.1960 की पालना में राजकीय भूमि होना माना जाकर पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरकरण सं0 334 भरा जाकर खुद काबिज का खाता आराजी राज दर्ज करने के पश्चात तहसीलदार, बीकानेर द्वारा खसरा नं. 547 में 52.15बीघा व 548 में 19.02बीघा, 557 में 29.05बीघा, 543 में 55.03बीघा, 545 में 128.15बीघा, 546 में 576.15बीघा कुल 861.15 बीघा भूमि को नामान्तरकरण सं0 334 की पुश्त पर आदेश दिनांक 25.9.70 द्वारा राजकीय भूमि घोषित की गयी है। प्रकरण में पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरकरण सं0 334 दिनांक 18.3.68 भरा जाकर खुद काबिज का खाता आराजी राज दर्ज किया गया, जिस पर निरीक्षक हल्का द्वारा दिनांक 20.3.68 को रिपोर्ट की गयी है, जिसके विरुध्द अपीलार्थी मेघसिंह पुत्र रामलाल द्वारा 40 वर्ष पश्चात् न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर के समक्ष खसरा नं0 545 की तादादी 128.15बीघा भूमि के बाबत प्रथम अपील

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

सं0 46/2008 अनवान मेघसिंह बनाम स्टेट, रामचन्द्रसिंह प्रस्तुत की गयी, जिसे उपखण्ड न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई निर्णय दिनांक 8.3.2011 पारित कर मियाद बिन्दु पर ही अपील को निरस्त किया गया है ।

7. अभिभाषक अपीलान्ट का मियाद बिन्दु पर मुख्य रुप से कथन है कि नामान्तरकरण सं0 334 दिनांक 20.3.68 के विरुध्द अपीलान्ट द्वारा उपखण्ड न्यायालय, बीकानेर के समक्ष दिनांक 27.6.08 को प्रथम अपील सं0 46/08 प्रस्तुत की गयी है । उक्त अपील के साथ धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह निवेदन किया गया था कि अपीलान्ट्स को पटवारी हल्का से दिनांक अपीलाधीन इन्तकाल की जानकारी दि0 7.5.08 को उस समय हुई जब बैंक ऋण लेने के लिए पटवारी हल्का से खाते की नकल लेने हेतु गया । दिनांक 7–5–08 को ही नकल दरख्वास्त प्रस्तुत करने पर दिनांक 26–5–08 को नकल मिलने के पश्चात दिनांक 27.6.2008 को जानकारी से अन्दर मियाद प्रथम अपील प्रस्तुत कर दी गयी । परन्तु उपखण्ड न्यायालय बीकानेर द्वारा मैरिट पर सुनवाई किये बिना मियाद बिन्दु पर ही प्रथम अपील खारिज कर दी गयी है । रेस्पोन्डेंट सं02 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कोई काउन्टर शपथ पत्र नहीं दिया गया है । अतः अपीलान्ट के शपथ पत्र को नहीं मानने का कोई कारण नहीं है । प्रकरण में हुए विलम्ब के सम्बन्ध में न्यायालय द्वारा नर्म रुख अपनाया जाना चाहिये ।

8. न्यायालय के अनुसार अपीलान्ट द्वारा नामान्तरकरण सं0 334 दिनांक 20.3.68 के विरुध्द उपखण्ड न्यायालय, बीकानेर के समक्ष दिनांक 27.6.08 को 40 वर्ष की देरी से प्रथम अपील सं0 46/08 प्रस्तुत की गयी है । अपीलान्ट द्वारा प्रथम अपील के साथ प्रस्तुत धारा–5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में यह उल्लेख किया है कि अपीलान्ट को नामान्तरकरण सं0 334 दिनांक 20.3.68 की जानकारी दिनांक 7.5.08 को उस समय हुई, जब अपीलान्ट ने बैंक से कृषि ऋण लेने हेतु पटवारी से खाते की नकल हेतु कहा । परन्तु अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी प्रथम अपील में पटवारी हल्का का कोई शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे अपीलान्ट का कथन सत्य साबित हो सके । यह सही है कि न्यायालय द्वारा मियाद के बिन्दु पर लचीला रुख अपनाया जाना चाहिये, किन्तु जहां पर पक्षकार द्वारा धारा–5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में विलम्ब के अपशमन के लिए पर्याप्त एवं सन्तोषजनक कारण पेश नहीं किये गये हो तो पक्षकार को मियाद में छूट दिये जाने का कोई औचित्य नहीं है । विलम्ब के लिए माफी प्रदान करना न्यायालय के विवेकाधिकार का मामला है, जिसमें अपीलान्ट द्वारा धारा–5 के प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत स्पष्टीकरण ही स्वीकार्यता का मापदण्ड होती है । प्रथम अपील में अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र में देरी कन्डोन करने के जो कारण अभिलिखित किये हैं, वह पर्याप्त एवं सन्तोषजनक नहीं होने से देरी को कन्डोन करने का न्यायसंगत आधार नहीं

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

होने से उपखण्ड न्यायालय द्वारा प्रथम अपील मियाद बिन्दु पर उचित ही खारिज की गयी है, जिसमें हम किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

9. इस प्रकरण में तहसीलदार, बीकानेर द्वारा खुद काबिज रकबे को राज्य सरकार के आदेश सं0 एफ3/78/रेवेन्यु/ई/70 दिनांक 21.4.60 की पालना में नामान्तरकरण सं0 334 में दिनांक 25.9.70 द्वारा अन्य खसरों के साथ खसरा नं0 545 की 128.15 बीघा भूमि को राजकीय दर्ज करने के आदेश दिये हैं। अपीलान्ट द्वारा दिनांक 20.3.68 के विरुध्द प्रथम अपील प्रस्तुत की गयी है, जबकि नामान्तरकरण सं0 334 में 20–3–68 का तहसीलदार, बीकानेर का कोई आदेश नहीं है । इस प्रकार 20.3.68 के विरुध्द अपीलान्ट द्वारा उपखण्ड न्यायालय, बीकानेर में प्रस्तुत की गयी प्रथम अपील त्रुटिपूर्ण भी है । जहां तक अपील के गुणावगुण का प्रश्न है, अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा विवादित भूमि खसरा नं0 545 की 128.15 बीघा भूमि के बाबत ऐसी कोई जमाबन्दी प्रस्तुत नहीं की गयी है, जिसमें अपीलान्ट के पिता की खातेदारी भूमि रही हो । इस सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालाय की पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी ग्राम उदयरामसर सम्वत् 2013 से 2016 का अवलोकन किया, जिसमें अपीलान्ट के पिता के नाम से खसरा नं0 545 की अन्य खसरों के साथ खातेदारी भूमि दर्ज होने का कोई उल्लेख नहीं है ।

10. उपर्युक्त तथ्यों के मध्यनजर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इस न्यायालय में प्रस्तुत यह द्वितीय अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णयानुसार न केवल मियाद के प्रश्न पर अपितु गुणावगुण पर भी संधारण योग्य नहीं है तथा प्रथम अपील त्रुटिपूर्ण भी प्रस्तुत हुई है। अतः यह अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है एवं उपखण्ड न्यायालय, बीकानेर का निर्णय दिनांक 8.3.2011 यथावत रखा जाता है ।

11. तद्नुसार अपील अपीलान्ट निर्णीत शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 20.2.18 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल गुप्ता)
सम्भागीय आयुक्त
बीकानेर